क्रम संख्या–82

सं० 1983/तैंतालिस–2–14/2(13)-96 टी०सी०

प्रेषक,

श्री एस० एन० शुक्ल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
2– समस्त विभागाध्यक्ष।

लखनऊ : दिनांक 4 जुलाई, 1997

महोदय,

प्रशासनिक सुधार
अनुभाग–2

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक सुधार का महत्व स्वतः स्पष्ट है। हाल में भारत सरकार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री गणों के सम्मेलन में भी इसके बारे में विशेष बल दिया गया था। प्रशासनिक सुधार से सम्बन्धित कई विषयों पर हाल में विभागाध्यक्षों एवं विभागीय सचिवों का ध्यान आकृष्ट किया गया है किन्तु अधिकांशतः उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है जिससे ऐसा आभास होता है कि इस ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि विभिन्न विभागों में इस कार्य के लिए निश्चित उत्तरदायित्व किसी वरिष्ठ अधिकारी को सम्भवतः नहीं दिया गया है।

2–चूंकि इस महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित अधिकारियों की एक टास्क फोर्स गठित कर दी जाय :–

(1) शासन स्तर पर विभाग में समन्वय कार्य देखने वाले विशेष सचिव अथवा यथास्थिति संयुक्त सचिव-संयोजक।

(2) विभागाध्यक्ष स्तर पर समन्वय कार्य देखने वाले अपर अथवा यथास्थिति संयुक्त विभागाध्यक्ष।

(3) विभाग का लखनऊ मण्डल का प्रभारी अधिकारी।

(4) विभाग का लखनऊ जनपद का प्रभारी अधिकारी।

(5) प्रशासनिक सुधार विभाग के वरिष्ठ शोध अधिकारी/शोध अधिकारी।

3–ऊपर उल्लिखित टास्क फोर्स प्रशासनिक सुधार विभाग के मार्गदर्शन में उनके द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रशासनिक सुधार से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में विभाग से सूचना उपलब्ध कराये जाने एवं प्रस्ताव तैयार करने शासन के आदेशार्थ प्रस्तुत कराने के लिए उत्तरदायी होगी।

4–टास्क फोर्स द्वारा विशेष रूप से निम्न विषयों पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(1) मुख्यमंत्रीगणों के सम्मेलन में की गयी संस्तुतियों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कार्यवाही।

(2) विभाग एवं उसके अन्तर्गत संगठनों में जन सेवाओं को प्रदान करने में सुधार हेतु कार्य योजना एवं उसका क्रियान्वयन।

(3) सिटीजन्स चार्टर के सम्बन्ध में कार्यवाही।

(4) विभाग के विकेन्द्रीकरण एवं अधिकारों का प्रतिनिधायन।

(5) विभागाध्यक्ष से लेकर ग्राम्य स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भ्रमण एवं निरीक्षणों के मानकों का निर्धारण/पुनर्निधारण।

(6) प्रक्रियाओं तथा फार्मों का सरलीकरण।

(7) मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम का पुनरीक्षण एवं सामयिक विवरण-पत्रों का रेश्नेलाइजेशन।

(8) विभाग मैनुअल, नियमों, विनियमों, विज्ञप्तियों, शासनादेशों आदि का संकलन/समेकन/ पुनरीक्षण।

(9) केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिनियमों/नियमों में संशोधन।

(10) विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों हेतु प्रपत्रों का निर्धारण/पुनरीक्षण।

5–उपरोक्त एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा समय-समय पर इंगित अन्य महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में टास्क फोर्स विभागीय प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करेगी ताकि इसके सम्बन्ध में शासन स्तर से यथोचित निर्णय लेकर आदेश निर्गत किया जा सके। टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव/सचिव प्रशासनिक सुधार की समिति द्वारा विचार कर यथावश्यक विभागीय मंत्री जी के आदेश प्राप्त किये जायेंगे।

6–उपरोक्तानुसार कार्यवाही अविलम्ब कराके टास्क फोर्स के गठन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश की एक प्रतिलिपि कृपया प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

भवदीय,
एस० एन० शुक्ल,
प्रमुख सचिव।